न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 142/2026
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

जतिन न्योल पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादी

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. पूनम चौधरी पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित — 1. श्री राजेश बुढानियां एडवोकेट (वादी)
2. श्री संजय सहू एडवोकेट (प्रति.सं. 1 ता 2)

निर्णय

दिनांकः— 24.4.2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्नाअनुसार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं 1 के नाम तहसील संगरिया के 17 बी.जी.पी ज.स. 2072—2075 के खाता स 180/90 में 3.599 है भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसकी प्रति सलग्न वादपत्र है। वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी स 1 वादी के पिता है। वादी के पिता प्रतिवादी सं 1 के नाम तहसील संगरिया के 17 बी.जी.पी ज.स. 2072—2075 के खाता स 180/90 में 3.599है भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद पत्र की चरण स 2 में वर्णित भूमि प्रतिवादी स 1 की विरास्तन प्राप्त भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी स 2 का प्रतिवादी 1 के बराबर हक व हिस्सा जन्म से बनता है। प्रतिवादी स 2 ने अपने हक व हिस्सा की भूनि का परित्याग वादी व प्रतिवादी स1 के पक्ष में ब.हि.ब अनुसार कर दिया है। इसलिए वादी प्रतिवादी स 1 के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी व प्रतिवादीगण इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इन्कार हो गए यही वाद करण है। वाद पत्र बाबत घोषणा का है जो उचित 2/— रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय कें क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीगण निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि चक 17 बीजीपी खाता संख्या 180/90 जमाबनदी सम्वत 2072—2075 में वादी को 1.799 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम का इतना हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य हित को विपरीत प्रभावित किये बिना वादी को याचित अनुतोश प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रकरण में

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सहायक न बनना पाये जाने पर साक्ष्य वादी रिकार्ड की गई। वादी ने अपने साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 ता.प्र.संहिता का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया तथा चक 17 बीजीपी खाता संख्या 180/90 जमाबनदी सम्वत 2072–2075 की जमाबंदी प्रदर्श 1 व चक 17 बीजीपी खाता संख्या 77/113 जमाबनदी सम्वत 2064–2067 प्रदर्श–2 करवाई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 17 बीजीपी खाता संख्या 180/90 जमाबनदी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 17 बीजीपी खाता संख्या 77/113 जमाबनदी सम्वत 2064–2067 जमाबन्दी प्रदर्श 2 करवाई गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रदर्श 1 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 2 से पैतृक साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को स्वीकार किया है। जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति/पैतृक अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 17 बीजीपी खाता संख्या 180/90 जमाबनदी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को 1.799 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.4.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया हनुमानगढ़

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 142 / 2026

जतिन न्योल पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

1. विनोद कुमार पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. पूनम चौधरी पुत्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानिया एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 2 श्री संजय सहू एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 17 बीजीपी खाता संख्या 180 / 90 जमाबनदी सम्वत 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी को 1.799 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज...X...नल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत्...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक...X...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.4.2026 को जारी किया

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया